न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 117/2023

1 कृष्ण कुमार पुत्र रामनिवास नवीरा श्योकरण।
2 राजेश कुमार पुत्र रामनिवास नवीरा श्योकरण समस्त जाति अहीर निवासीगण पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रोहताश पुत्र फुसाराम।
1/1 संतोष पत्नी रोहताश।
1/2 सोनू पुत्र रोहताश।
1/3 सुनिता पुत्री रोहताश।
1/4 मैनावती पुत्री रोहताश।
1/5 बाला पुत्री रोहताश।
1/6 बुगली पुत्री रोहताश।
1/7 मुन्ना पुत्री रोहताश।
2 शिवपाल पुत्र गुला।
3 हनुमान पुत्र गुला।
4 अमर सिंह पुत्र सुरजा नवीरा तेजा।
5 महेन्द्र पुत्र सुरजा नवीरा तेजा।
6 भोजराज पुत्र रामेश्वर नवीर तेजा।
7 नरेश कुमार पुत्र रामेश्वर।
8 श्योकरण पुत्र दोला।
8/1 सुशीला पुत्री रामनिवास नवीरा श्योकरण।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

8/2 संतोष पुत्री रामनिवास नवीरा श्योकरण।
8/3 सुमन पुत्री रामनिवास नवीरा श्योकरण।
9 विमला देवी पुत्री जयदयाल।
10 भरपाई पुत्री जयदयाल।
11 मनी देवी पुत्री जयदयाल।
12 रतीराम पुत्र जयदयाल नवीरा नानगा।
13 रामसिंह पुत्र जयदयाल नवीरा नानगा।
14 जगमाल पुत्र जयदयाल नवीरा नानगा।
15 शीशपाल पुत्र श्योताज नवीरा नानगा।
16 शिवकुमार पुत्र श्योताज नवीरा नानगा।
17 अजयराज पुत्र लखीराम नवीरा नानगा।
18 भरतराज पुत्र लखीराम नवीरा नानगा।
19 सुनिता पुत्री लखीराम नवीरा नानगा।
20 जड़ावती पत्नी नत्थूराम।
21 संतोष पत्नी लखीराम।
22 बंशीधर पुत्र नत्थूराम।
23 मुरलीधर पुत्र नत्थूराम।
24 कौशल्या पुत्री नत्थूराम।
25 गीता पुत्री नत्थूराम।
26 चमेली देवी पुत्री नत्थूराम।
27 सन्तरा पुत्री नत्थूराम।
28 शकुन्तला पुत्री दाताराम।
[redacted]
30 भगवाना पुत्र नानगा।
31 महिपाल पुत्र दाताराम नवीरा हेमा।
32 दिपिका यादव पुत्री रोशनलाल।
33 निकिता यादव पुत्री रोशनलाल नवीरा हेमा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

34 राहुल यादव पुत्र रोशनलाल नवीरा हेमा।
35 सजना पत्नी रोशनलाल समस्त जाति अहीर निवासीगण पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
36 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचेरी कलां जरिये शाखा प्रबन्धक पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
37 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक भिर्र तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
38 उप पंजियक बुहाना जिला झुंझुनू।
39 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना बमुकदमा
डनवानी रोहताश वगैरह बनाम अमर सिंह वगैरह
बमुकदमा नम्बर 87/2022 दावा घोषणात्मक खातेदारी
व रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरियां, अधिवक्ता अपीलांट

<u>—निर्णय—</u>

दिनांकः— 21.5.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 87/2022 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना की भूमि खसरा नम्बर 106,107,108, 109,110 के सन्दर्भ में खातेदारी उदघोषणा रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु दिनांक 27.06.2021 को होने के बावजूद उसके कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना मृत्य व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान है। विचारण न्यायालय में सम्यक तामिल नही हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य लिये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विधिक प्रकिया अपनाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही थी। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 2013(3) पेज 987 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु दिनांक 27.06.2021 को होने के बावजूद

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उसके कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान है। विचारण न्यायालय में सम्यक तामिल नही हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य लिये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 21.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर